

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 1978/फाल्गुन 3, 1899
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 1978/PHALGUNA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(काय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1978

सा० का० नि० 82(अ) आ० ब०/ईख —ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके उपखण्ड (1) के अधीन वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, ईख की आधारिक न्यूनतम कीमत 8.50 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर, जो कि 8.5% या उससे कम वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5% से अधिक की प्रत्येक 0.1% की वसूली की वृद्धि पर 10 पैसा प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2)

में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिश्चित नियत पात्र प्रक्रिया वाले ईख के कारखाने के स्वामी द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर परिवर्तित ईख के लिए 30 सितम्बर, 1978 तक संवेद्य होगा किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संवेद्य रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	ईख की रूपरेखा में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
1.	पेराम्बलूर शूगरर्स मिल्स लि०, पो० एरयूर, जिला तिरुचिरापल्ली, (तमिलनाडु)	8.50

[सं० 3/17/76-स०नी० (खण्ड 4)]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव (शर्करा)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 1978

G. S. R. 82(E)/ESS.COM/Sugarcane: — In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to various factors mentioned under sub-clause (I) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations, as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 8.50 p. per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 10 paise per quintal for every 0.1 per cent, increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or his agents for sugarcane delivered at the gate of his factory or at any purchasing centre until the 30th September, 1978 subject to the rebate payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1.	Perambalur Sugar Mills Ltd., P. O. Erayur, Distt. Tiruchirapalli (Tamil Nadu).	8.50

[No. 3/17/76-SPY(VOL. IV)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar).